# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.
108/2022

प्रवेश तिथि
11.3.2022

निर्णय तिथि
2-5-22

उनवान

1. फुलसिह पुत्र जगराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

2. राजपाल

:–प्रतिवादी

3. सुखराम पुत्रान जगराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.

:–तर. प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मईमतनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट 1955

.....

उपस्थितः–

1. श्री सतीश कुमार शर्मा वकील वादी की और से ।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णयः–

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0–07 बिस्वा जिसके गत खसरा नम्बर 1074 रकबा 0–07 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशगनढबास जिला अलवर है जो वाद मे विवादित आराजी है।

उक्त विवादित आराजी गैर मुमकिन 798/1965 से लगता हुआ आगे चलकर वादी व तर. प्रतिवादीगण के कुए जो कि आराजी खसरा नम्बर 1536 मे स्थित है उस तक जाता है जो उक्त विवादित रास्ता वादी व तर. प्रतिवादीगण का तन्हा रास्ता है जो मात्र वादी , तर. प्रतिवादी के कुए तक जाता है अन्य किसी व्यक्ति का मौजूदा रास्ते से कोई लेना देना नही है यहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाता आवश्यक है कि मौजूदा कुए से सिंचित आराजी व कुए के चारो तरफ की आराजी खसरा नम्बर 1523, 1538, 1535 वादी व तर. प्रतिवादीगण की जर्ये बयनामा खरीदशुद्वा आराजी है जिस

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

आराजी मे से आराजी खसरा नम्बर 1523 रकबा 1.21 हे. वादी की खरीदशुद्वा आराजी , इसी कदर 1523 रकबा 1.21 हे. वादी की खरीद शुद्वा आराजी इसी कदर 1538 तर. प्रतिवादी राजपाल की खरीदशुद्वा आराजी , इसी कदर खसरा नम्बर 1536/1 रकबा 0.065 हे. की वादी की खरीदशुद्वा आराजी खसरा नम्बर 1536/2 रकबा 0.065 हे. तर. प्रतिवादी राजपाल की खरीदशुद्वा आराजी है जो उक्त आराजीयात वादी व तर. प्रतिवादीगण की आराजीयात कुवे तक रास्ता मौजूदा विवादित रास्ता ही है यहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त विवादित रास्ता व आराजीयात वादी व तर. प्रतिवादीगण द्वारा फकीरचन्द ,शिवदयाल ,शंकरलाल पुत्रान चिरंजीलाल महाजन व महादेव प्रसाद , कन्हैयालाल पुत्रान प्रभुदयाल जाति महाजन से खरीद शुद्वा आराजी है मौजूदा विवादित रास्ता , मु0 चन्दो व चिंरजीलाल का मौजूदा कुवे तक व आराजीयात तक जाने का एक मात्र रास्ता था। मु0 चन्दो जो की बेवा सेडू थी उसने सेडू की मृत्यु के बाद प्रभूदयाल से घरवासा कर लिया तथा चन्दो पत्नि प्रभूदयाल हो गई , व प्रभूदयाल के दोनो पुत्रान क्रमश : महादेव प्रसाद, कन्हैयालाल व चिरंजीलाल से वादी व तर. प्रतिवादीगण ने समस्त आराजी विवादित कुवे की आराजी क्रय कर ली यानि मौजूदा विवादित रास्ता तन्हा वादी व तर. प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे शामिल है जिसका उपयोग उपभोग वादी व तर. प्रतिवादीगण खरीद के दिनांक से कर रहे है इस कारण वादी व तर. प्रतिवादीगण इकश्तकरहक , दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के मुश्तहक है की आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0–07 विस्वा वाके ग्राम बम्बोरा मे मौजूदा अंकन को दुरूस्त कर वादी व तर. प्रतिवादीगण के नाम के अंकन किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

अ– डिक्री इश्तकराहक मय इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0–07 बिस्वा वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशगनढबास मे मोजूदा अंकन दुरूस्त कर वादी व तर. प्रतिवादीगण के नाम के अंकन बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड कियाजावे । विकल्प मे रास्त खसरा हाल 1537 से मौजूदा अंकन हजफ कर वादी व तर. प्रतिवादीगण का नाम गैर मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

ब– दीगर दादरसी जो बेनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब दावा पेश कर वाद वादी को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा पेश किया। तथा जबाब दावा के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश कर वर्णित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.09 हे. वाके ग्राम बम्बोरा मुताबिक जमाबन्दी के खाता सख्या 1 सिवायचक बिला लगानी किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी का गत खसरा नम्बर 1074 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बनता है जिसमे भी किस्म गैर मु. रास्ता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.13

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हे. गैर मु. चाह तक गुजर रहा है उसके बाद रास्ता बन्द है खसरा नम्बर 1536 गैर मु. चाह से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 1523 रकबा 1.21 हे., 1535 रकबा 0.15 हे., 1538 रकबा 0.66 हे. गे सिचाई की जाती थी वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1523 रका 1.26 हे. जर्ये बयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 5.6.89 से कृषि योग्य भूमि एवं गैर . मु.चाह को खरीद लिया है गत खसरा नम्बर 1074 रकबा 0–07 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2012–15 के खेवट खतौनी सख्या 737 मे मु. चन्द्रो , चिरंजीवैगरा के नाम है जो विक्रेताओ की माता है खसरा नम्बर 1537 आम रास्ता नही है मौके पर खाली पडत पडा हुआ है।जिसका रकबा करीब 0.06 हे. तथा शेष रकबा मे वादी द्वारा पक्का मकान चार दिवारी गेट 0.03 हे. मेबना रखा है। जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवही तहसीलदार कार्यालय मे चल रही है। 1523 एवं 1537 के बीच मेड नही थी दोनो खसरा नम्बर मिले हुए है।

अतः हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.09 हे. गैर मु. रास्ता किसी अन्य रास्ते मे नही जुडता है जो केवल खसरा नम्बर 1536 गैरमु. चाह वास्ते गुजर रहा है। खसरानम्बर 1537 गत राजस्व रिकार्ड मे किस्म गैर मु. रास्ता है।परन्तु दर्ज रिकार्ड हाल रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप मे पी.डब्ल्यू 1 फूलसिह , पीडब्ल्यू 2 शेरसिह शपथ पत्र पेश किये । पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमबद्व कराये गये।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

बहस का मननकिया। तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे सिचायचक गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अवलोकन से हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0–07बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 1074 रकबा 0–07 बिस्वा पैमूद हुआ है। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता सख्या 147 मे मु. चन्दो वैगरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जबाब के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त हुई जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.09 हे. वाके ग्राम बम्बोरा मुताबिक जमाबन्दी के खाता सख्या 1 सिवायचक बिला लगानी किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी का गत खसरा नम्बर 1074 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बनता है जिसमे भी किस्म गैर मु. रास्ता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.13 हे. गैर मु. चाह तक गुजर रहा है उसके बाद रास्ता बन्द है खसरा नम्बर 1536 गैर मु. चाह से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 1523 रकबा 1.21 हे., 1535 रकबा 0.15 हे., 1538 रकबा 0.66 हे. मे सिचाई की जाती थी वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1523 रका 1.26 हे. जर्ये बयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 5.6.89 से कृषि योग्य भूमि एवं गैर . मु.चाह को खरीद लिया है गत खसरा नम्बर 1074 रकबा 0–07 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2012–15 के खेवट खतौनी सख्या 737 मे मु.

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

चन्द्रो , चिरंजीवैगरा के नाम है जो विक्रेताओ की माता है खसरा नम्बर 1537 आम रास्ता नही है मौके पर खाली पडत पडा हुआ है।जिसका रकबा करीब 0.06 हे. तथा शेष रकबा मे वादी द्वारा पक्का मकान चार दिवारी गेट 0.03 हे. मेबना रखा है। जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवही तहसीलदार कार्यालय मे चल रही है। 1523 एवं 1537 के बीच मेड नही थी दोनो खसरा नम्बर मिले हुए है।जिससे यह बाखूबी साबित होता है खसरा नम्बर 1537 साबिक राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज रिकार्ड नही था। केवल मात्र गैर. मु. चाह तक जाने का एक मात्र रास्ता था जो कुवे पर जाकर बन्द हो जाता था । गैर मु. चाह व अन्य लगते हुए खसरा नम्बर वादी द्वारा जर्ये बयनामा खरीद किये है जिसके कुछ हिस्से 0.03 हे.पर वादी के मकानात एवं पडत भूमि है जो वादी के काम मे आती है ना की आम रास्ता है। चूंकी विवादित आराजी साबिक रिकार्ड चिरंजीलाल वैगरा के खाता सख्या 147 मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी का बेचान चिरंजीलाल के वारिसान द्वारा वादी को किया है जो बेचान से पूर्व चिरंजी वेगरा के गैर मु. चाह के जाने के काम मे आती थी और वर्तमान मे गैर मु. चाह वादी के क्रेय करने के बाद वादी के काम आ रही है मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी केवल वादी की गैर. मु. चाह पर ही खत्म होता है। इसलिए हम विवादित आराजी को गैर मु. चाहे के खाते मे पूर्वतः साबिक रिकार्ड के अनुसार दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है

अतः आदेश है :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.09 हे. गैर मु. रास्ता वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसे मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012–15 के मुताबिक गैर मु. चाह के खाता सख्या 281 खसरा नम्बर 1536/1 रकबा 0.065 हे. वाके ग्राम बम्बोरा मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास